रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 326] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2014/कार्तिक 21, 1936
No. 326] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2014/KARTIKA 21, 1936

कारपोरेट मंत्रालय

(दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया)

अधिसूचना

कोलकाता, 12 नवम्बर, 2014

सं. सीडब्ल्यूआर (1) 2014.—यतः लागत एवं कार्य लेखाकार विनियम, 1959 का आगे और संशोधन करने के लिए मसौदा विनियम इनसे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी; से पैंतालीस दिनों की अवधि बीतने से पूर्व आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 39 की उप धारा (3) द्वारा की गई अपेक्षानुसार इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर(1) 2013 के तहत दिनांक 27 जून, 2014 के भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे;

और यतः उक्त राजपत्र की प्रतियां दिनांक 30 जून 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और यतः उक्त संस्थान को कोई आपत्ति तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः अब लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 39 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद लागत एवं कार्य लेखाकार विनियम, 1959 का आगे और संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थातः –

1. (1) इन विनियमों को लागत एवं कार्य लेखाकार (संशोधन) विनियम, 2014 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. लागत एवं कार्य लेखाकार विनियम 1959 (जिन्हें एतद्पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) में,–

(क) विनियम 20 में,–

(i) प्रथम परंतुक में, "छः माह" शब्दों के स्थान पर "अठारह माह" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) द्वितीय परंतुक में, "छः माह" शब्दों के स्थान पर "अठारह माह" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उक्त विनियमों में, विनियम 20 क में,–

(iii) "प्रयोजन" शब्द के बाद "ऐसे शुल्क के साथ, जिसे परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाए" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(iv) उप–विनियम (क) में "संस्थान" शब्द के बाद "अथवा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(v) उप–विनियम (ख) में "उत्तीर्ण" शब्द के बाद "अथवा बैठे" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(vi) उप–विनियम (ख) के बाद निम्नलिखित परंतुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

"परंतु यह कि ऐसे विद्यार्थी, जिसे 10वीं कक्षा अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फाउंडेशन पाठ्यक्रम में दाखिला दिया गया था, का दाखिला अनंतिम होगा और उसे फाउंडेशन पाठ्यक्रम परीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व एवं दाखिले के छत्तीस माह के भीतर 10+2

स्कीम के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा उसके समतुल्य किसी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक तालिका अथवा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात नियमित किया जाएगा। "

(vii) प्रथम परंतुक में

(क) "परन्तु" शब्द के बाद "यह और कि" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे,

(ख) "छः माह" शब्दों के स्थान पर "छत्तीस माह" शब्द रखे जाएंगे,

(viii) द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात :–

"परन्तु यह भी कि यदि ऐसा अभ्यर्थी उसके दाखिले के छत्तीस माह की अवधि के भीतर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसका अनंतिम दाखिला रद्द कर दिया जाएगा और उसके द्वारा अदा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा तथा उसके द्वारा ली गई सैद्धांतिक शिक्षा के लिए कोई अधिमान प्रदान नहीं किया जाएगा।"

(ग) उक्त विनियमों में, विनियम 20 ख के खंड (क) में, उप–खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात :–

"(i) उसे विनियम 20 क के अंतर्गत फाउंडेशन पाठ्यक्रम में दाखिला प्रदान किया गया है और उसे ऐसी परीक्षा शुरू होने से पूर्व कम से कम चार माह तक डाक द्वारा अथवा मौखिक अथवा ई–लर्निंग अध्ययन करने के लिए नामांकित किया गया है;"

(घ) उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप–विनियम (2) का लोप किया जाएगा ।

कौशिक बनर्जी, सचिव–कार्यवाहक

[विज्ञापन III/4/असा./71/14]

टिप्पणी : प्रधान विनियमों को दिनांक 25 मई, 1959 की संख्या सा.का.नि. 611 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किया गया था–

(1) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (2)/69 दिनांक 8 मई, 1969;

(2) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (2)/70 दिनांक 25 मई, 1970;

(3) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (2)/70 दिनांक 22 जनवरी, 1972;

(4) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/81 दिनांक 6 जनवरी, 1981;

(5) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/88 दिनांक 31 जनवरी, 1989;

(6) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/93 दिनांक 25 सितंबर, 1993;

(7) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/2002 दिनांक 26 जून, 2002;

(8) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/2002 दिनांक 27 मार्च, 2003;

(9) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/2008 दिनांक 17 नवंबर, 2008;

(10) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (3)/2008 दिनांक 6 अप्रैल, 2009;

(11) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/2010 दिनांक 4 फरवरी, 2011;

(12) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/2012 दिनांक 25 मई, 2012;

(13) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (1)/2013 दिनांक 29 नवंबर, 2013;

(14) अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूआर (2)/2013 दिनांक 29 नवंबर, 2013;

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA)

NOTIFICATION

Kolkata, the 12th November, 2014

No. CWR (I)/2014.—Whereas the draft regulations further to amend the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, were published as required by sub-section (3) of section 39 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) in the Gazette of India, part III, section 4, dated the 27th June,2014, vide the Institute of Cost Accountants of India notification number CWR(1) 2014, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty five days from the date on which copies of the said Gazette were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 30th June,2014;

And whereas no objections and suggestions were received by the said Institute;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 39 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, namely :-

1. (1) These regulations may be called the Cost and Works Accountants (Amendment) Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 (hereinafter referred to as the said regulations),-

(A) in regulation 20, -

(i) in the first proviso, for the words " six months", the words "eighteen months" shall be substituted;

(ii) in the second proviso, for the words " six months", the words "eighteen months" shall be substituted.

(B) in the said regulations, in regulation 20 A-

(iii) after the word "purpose", the words "with such fee as may be determined by the Council from time to time" shall be inserted;

(iv) in sub-regulation (a), after the word" Institution", the word "or" shall be inserted.

(v) in sub-regulation (b), after the word 'Passed", the words "or appeared in" shall be inserted.

(vi) after sub-regulation (b),the following proviso shall be inserted, namely:--

"Provided that admission of a student who was admitted to the Foundation Course after passing class 10 or equivalent examination shall be provisional and be regularised after submission of pass mark sheet or pass certificate of the Senior Secondary Examination under 10+2 Scheme or any other examination equivalent thereto before submission of application for Foundation Course Examination, and within thirty six months of the admission."

(vii) in the first proviso

(a) after the word "Provided", the word "further" shall be inserted,

(b) for the words " six months", the words "thirty six months" shall be substituted,

(viii) for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided also that if such candidate fails to produce such proof within a period of thirty six months of his admission, his provisional admission shall be cancelled and the fees paid by him shall not be refunded and no credit shall be given for the theoretical education undergone by him".

(C) In the said regulations, in regulation 20B, in clause (a), for sub-clause (i), the following sub- clause shall be substituted, namely:-

"(i) he has been admitted to the Foundation Course under regulation 20A and has been enrolled for undergoing postal or oral or e-learning tuition for at least four months prior to the commencement of such examination;";

(D) In the said regulations, in regulation 25, sub-regulation (2) shall be deleted.

KAUSHIK BANERJEE, Secy. Acting

[ADVT III/4/Exty./71/14]

Note:- Principal regulations were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 611 dated 25th May, 1959 and amended vide-

(1) Notification Number CWR (2)/69 dated 8th May, 1969;

(2) Notification Number CWR (2)/70 dated 25th May, 1970;

(3) Notification Number CWR (2)/70 dated 22nd January, 1972;

(4) Notification Number CWR (1)/81 dated 6th January, 1981;

(5) Notification Number CWR (1)/88 dated 31st January, 1989;

(6) Notification Number CWR (1)/93 dated 25th September, 1993;

(7) Notification Number CWR (1)/2002 dated 26th June, 2002;

(8) Notification Number CWR (1)/2002 dated 27th March, 2003;

(9) Notification Number CWR (1)/2008 dated 17th November, 2008;

(10) Notification Number CWR (3) 2008 dated 6th April, 2009;

(11) Notification Number CWR (1) 2010 dated 4th February,2011;

(12) Notification Number CWR (1) 2012 dated 25th May, 2012.

(13) Notification Number CWR (1) 2013 dated 29th November,2013.

(14) Notification Number CWR (2) 2013 dated 29th November,2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.